प्रेस विज्ञप्ति

विदेश मंत्रालय
(हज प्रभाग)

13 जनवरी, 2014

हज 2014 हेतु अयोग्य प्राईवेट टूर प्रचालकों (पीटीओ) की व्यैक्तिक सुनवाई

हज 2013 हेतु योग्य पीटीओ की घोषणा के पश्चात प्राप्त उनकी सफाई/ स्पष्टीकरण के निरूपण के परिणामस्वरूप जारी हज 2014 से प्रभावी श्रेणी I और II के अंतर्गत योग्य अतिरिक्त प्राईवेट टूर प्रचालकों (पीटीओ) की सूची की 07 जनवरी, 2014 की इस मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के क्रम में मंत्रालय ने निम्नवत निर्णय लिया है :

2. ऐसे अयोग्य पीटीओ को एक अतिरिक्त और अंतिम अवसर देने के लिए, जिन्होंने अपनी सफाई/ स्पष्टीकरण मंत्रालय के हज प्रकोष्ठ को पहले दी है, ऐसे अयोग्य पीटीओ को व्यैक्तिक निजी सुनवाई प्रदान की जाए, यदि वे ऐसा चाहे। अयोग्य पीटीओ को मंत्रालय और भारतीय हज समिति की वेबसाईट के जरिए निजी सुनवाई की तारीख, समय और स्थान अलग से सूचित की जाएगी। यह ध्यान रखें कि निजी सुनवाई की यह सुविधा उन पीटीओ को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने अपनी सफाई/ स्पष्टीकरण हज प्रकोष्ठ को पहले प्रस्तुत नहीं की हैं।

3. इस संबंध में यह ध्यान रखें कि निजी सुनवाई के दौरान अयोग्य पीटीओ से कोई भी नया/ अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें, पंजीकरण हेतु उनके आवेदन देने के समय प्रसतुत उनकी फाईल में उपलब्ध सूचना/ दस्तावेजों के संदर्भ में अपनी स्थिति साफ करने/ स्पष्ट करने की ही अनुमति दी जाएगी।